

मूल्य कर सहित रूपये एक सौ पचास
(रु0 150) मात्र

उत्तर प्रदेश वन निगम
प्रयागराज/लखनऊ क्षेत्र



तेन्दू पत्ता की खुले नीलाम द्वारा बिक्री हेतु
बिक्री सूची तथा नीलाम एवं बिक्री की सामान्य शर्तें

.....

नीलाम की तिथि व समय

दिनांक 24.02.2023 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से

विक्रय प्रभाग, जिसकी लाटों का समिति नीलाम होगा—दुध्दी, वाराणसी एवं झाँसी

.....

नीलाम स्थल:

सगुन निलायम (गेस्ट हाउस) बी0 एस0 ए0

आफिस के निकट

जगराम चौराहा

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)

- तेन्दू पत्ता की खुले नीलाम द्वारा बिक्री हेतु विक्रय सूची, नीलाम सूचना एवं नीलाम द्वारा बिक्री की शर्तें
1. वर्ष-2022 सीजन की तेन्दू पत्ता की अवशेष व पूर्व की अन्य अवशेष लाटों की लाटवार विक्रय सूची
 2. तेन्दू पत्ता बिक्री हेतु नीलाम सूचना -नीलाम तिथि 24.02.2023
 3. नीलाम द्वारा तेन्दू पत्ता बिक्री की शर्तें

मीरजापुर लौगिंग प्रभाग, मीरजापुर
वर्ष 2022 सीजन की सी-1 स्टाक की लाटें

क्र०सं०	लाट संख्या	सेक्सन का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	M-C 40/22-23	सी-1 स्टाक	C-1 Stock	80	0.000	चुर्क गोदाम ,सोनभद्र
2	M-C 41/22-23	सी-1 स्टाक	C-1 Stock	25	0.000	चुर्क गोदाम ,सोनभद्र
3	M-C 43/22-23	सी-1 स्टाक	C-1 Stock	20	0.000	प्रभागीय कार्यालय,सोनभद्र वन प्रभाग
	3 लाटें	योग		125	0.000	

प्रयागराज लौगिंग प्रभाग, प्रयागराज
वर्ष 2022 सीजन की सी-1 स्टाक की लाट

क्र०सं०	लाट संख्या	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6
1.	P- C 02/22	सी-1 स्टाक (रेन्ज करछना एवं शकरगढ)	72	0.000	चक्रवाल, गोदाम मिर्जापुर
	01 लाट	योग	72	0.000	
	04 लाटें	प्रभाग का कुल योग	197	0.000	
	04 लाटें	प्रयागराज क्षेत्र का कुल योग	197	0.000	

झांसी लौगिंग प्रभाग, झांसी
वर्ष 2022 सीजन की वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाट

क्र०सं०	लाट संख्या	सेक्सन का नाम		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा०बो०	मा०बो०	
1	2	3	4	5	6	7
1	L-B 01/22	गौना/पाली सैक्शन	GAUNA/ PALI SECTION	10	8.000	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम, ललितपुर
	01 लाट	योग		10	8.000	
	01 लाट	प्रभाग का योग		10	8.000	
	01 लाट	लखनऊ क्षेत्र का कुल योग		10	8.000	
	05 लाटें	प्रयागराज एवं लखनऊ क्षेत्र का कुल योग		207	8.000	

रेनुकूट लौगिंग प्रभाग, रेनुकूट
वर्ष 2021 तेन्दू पत्ता सीजन
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र०सं०	लाट संख्या	इकाई/सेक्सन का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	R- A 03 /21	असनहर	Asanhar	30	20.500	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम, दुद्धी
2	R- A 04 /21	औराडंडी	Auradandi	129	106.480	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्डमगंज
3	R- A 06 /21	बागेसोती-अ	Bagesoti-A	55	44.200	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
4	R- A 09 /21	बलेरी	Baleri	67	59.500	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
5	R- A 16 /21	भरहरी	Bharhari	32	18.250	जुगैल द्वितीय गोदाम, जुगैल
6	R- A 18 /21	दुद्धी (धनौरा)	Duddhi (Dhanaura)	62	44.400	प्रिया दूवे गोदाम, दुद्धी
7	R- A 19 /21	दुद्धी (धनौरा)	Duddhi (Dhanaura)	72	53.850	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
8	R- A 20 /21	गर्दा	Garda	35	22.885	जुगैल प्रथम गोदाम, जुगैल
9	R- A 21 /21	गौरसिंहा	Gaurasinha	36	30.900	अशोक शुक्ला गोदाम, दुद्धी
10	R- A 22 /21	गुलालझरिया	Gulaljharia	41	31.485	अशोक शुक्ला गोदाम, दुद्धी
11	R- A 28 /21	झारो(कटौधी)	Jharo (Katoudhi)	50	37.300	अशोक शुक्ला गोदाम, दुद्धी
12	R- A 32 /21	केवाल-स	Kewal- S	25	19.000	लक्ष्मी नारायण गोदाम, दुद्धी
13	R- A 34 /21	कोरगी	Korgi	28	22.383	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्डमगंज
14	R- A 41 /21	नौडीहा	Naudiha	74	63.700	अशोक शुक्ला गोदाम, दुद्धी
15	R- A 42 /21	पिपरा-अ	Pipra-A	29	18.780	जुगैल प्रथम गोदाम, जुगैल
16	R- A 43 /21	पर्वतवा / इन्जानी	Parvatwa/ Enjani	45	31.500	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम, दुद्धी
17	R- A 46 /21	रामगढ़-ब	Ramgarh-B	134	111.488	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्डमगंज
18	R- A 48 /21	रन्नू	Rannu	60	43.210	प्रिया दूवे गोदाम, दुद्धी
19	R- A 54 /21	ससनई	Sasanai	18	11.500	एस०डी० मिश्रा गोदाम (प्रथम), सलखन
20	R- A 55 /21	सेमिया-अ	Semia-A	30	21.000	एस०डी० मिश्रा गोदाम (प्रथम), सलखन
21	R- A 56 /21	सेमिया-ब	Semia -B	89	61.650	एस०डी० मिश्रा गोदाम (प्रथम), सलखन
22	R- A 57 /21	सुपाचुआं	Supachuan	126	100.100	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
23	R- A 59/21	वासिन-अ	Wasin-A	111	87.950	लक्ष्मी नारायण गोदाम, दुद्धी
	23 लाटें	योग		1378	1062.011	

वर्षा से प्रभावित लाटें

क्र० सं०	लाट सं० व वर्ष	सेक्सन का नाम		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	वा० बोरा	
1	R- B 01 /21	अनपरा	Anpara	356	264.103	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम, दुद्धी
2	R- B 02 /21	अनपरा	Anpara	786	549.000	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम, दुद्धी
3	R- B 05 /21	बभनी-1	Babhni-1	816	559.770	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
4	R- B 06 /21	बभनी-1	Babhni-1	854	604.540	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
5	R- B 07 /21	बभनी-1	Babhni-1	953	669.740	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
6	R- B 08 /21	बभनी-1	Babhni-1	805	572.910	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
7	R- B 09 /21	बभनी-1	Babhni-1	896	614.600	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
8	R- B 10 /21	बभनी-1	Babhni-1	812	573.592	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
9	R- B 11 /21	बभनी-1	Babhni-1	821	578.500	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
10	R- B 12 /21	बभनी-1	Babhni-1	808	556.555	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
11	R- B 13 /21	बभनी-1	Babhni-1	865	610.078	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
12	R- B 14 /21	बभनी-1	Babhni-1	362	265.922	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
13	R- B 16 /21	बभनी-2	Babhni-2	972	772.540	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
14	R- B 17 /21	बभनी-2	Babhni-2	914	814.880	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
15	R- B 18 /21	बभनी-2	Babhni-2	930	733.415	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
16	R- B 19 /21	बभनी-2	Babhni-2	887	691.115	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
17	R- B 20 /21	बभनी-2	Babhni-2	914	701.625	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
18	R- B 21 /21	बभनी-2	Babhni-2	926	667.635	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
19	R- B 22 /21	बभनी-2	Babhni-2	1018	849.190	संजय शकुन्तला गोदाम, दुद्धी
20	R- B 30 /21	दुद्धी	Duddhi	534	398.010	प्रिया दूवे गोदाम, दुद्धी
21	R- B 31 /21	दुद्धी	Duddhi	334	291.450	प्रिया दूवे गोदाम, दुद्धी
22	R- B 36 /21	गोहणा	Gohada	985	797.380	अशोक शुक्ला गोदाम, दुद्धी
23	R- B 38 /21	गोहणा	Gohada	915	740.710	अशोक शुक्ला गोदाम, दुद्धी
24	R- B 39 /21	गोहणा	Gohada	590	477.615	अशोक शुक्ला गोदाम, दुद्धी
25	R- B 41 /21	गोहणा	Gohada	523	398.895	प्रिया दूवे गोदाम, दुद्धी
26	R- B 42 /21	गोहणा	Gohada	110	83.820	प्रिया दूवे गोदाम, दुद्धी
27	R- B 43 /21	गोहणा	Gohada	690	537.275	प्रिया दूवे गोदाम, दुद्धी
28	R- B 44 /21	जरहा	Jarha	750	590.850	भागीरथी गोदाम, हीराचक
29	R- B 45 /21	जरहा	Jarha	651	512.850	भागीरथी गोदाम, हीराचक
30	R- B 46 /21	जरहा	Jarha	700	551.460	भागीरथी गोदाम, हीराचक
31	R- B 47 /21	जरहा	Jarha	705	555.406	भागीरथी गोदाम, हीराचक
32	R- B 48 /21	जरहा	Jarha	580	454.723	भागीरथी गोदाम, हीराचक
33	R- B 49 /21	जरहा	Jarha	909	712.650	भागीरथी गोदाम, हीराचक
34	R- B 50 /21	जरहा	Jarha	990	740.920	अन्जू जायसवाल गोदाम, दुद्धी
35	R- B 51 /21	जरहा	Jarha	1000	748.400	अन्जू जायसवाल गोदाम, दुद्धी
36	R- B 52 /21	जरहा	Jarha	1000	748.405	अन्जू जायसवाल गोदाम, दुद्धी
37	R- B 53 /21	जरहा	Jarha	440	329.300	अन्जू जायसवाल गोदाम, दुद्धी

38	R- B 54 /21	जरहा	Jarha	985	737.175	अन्जु जायसवाल गोदाम,दुद्धी
39	R- B 55 /21	जरहा	Jarha	925	692.275	अन्जु जायसवाल गोदाम,दुद्धी
40	R- B 56 /21	जरहा	Jarha	781	584.500	अन्जु जायसवाल गोदाम,दुद्धी
41	R- B 57 /21	जरहा	Jarha	334	260.352	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
42	R- B 58 /21	जरहा	Jarha	798	622.050	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
43	R- B 59/21	जरहा	Jarha	786	612.700	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
44	R- B 60 /21	जरहा	Jarha	808	629.800	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
45	R- B 61 /21	जरहा	Jarha	811	632.200	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
46	R- B 62 /21	जरहा	Jarha	795	619.850	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम,दुद्धी
47	R- B 65 /21	जुगैल-अ	Jugail- A	222	149.580	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
48	R- B 66 /21	जुगैल-अ	Jugail- A	291	193.875	एस0डी0 मिश्रा गोदाम(प्रथम),सलखन
49	R- B 67 /21	जुगैल-अ	Jugail- A	135	93.090	एस0डी0 मिश्रा गोदाम(प्रथम),सलखन
50	R- B 71 /21	जुगैल-ब	Jugail-B	184	127.380	जुगैल प्रथम गोदाम,जुगैल
51	R- B 73 /21	कोन	Kon	600	482.800	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
52	R- B 74 /21	कोन	Kon	600	483.200	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
53	R- B 75 /21	कोन	Kon	465	374.612	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
54	R- B 83 /21	कोन	Kon	700	564.222	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्ढमगंज
55	R- B 84 /21	कोन	Kon	370	299.781	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्ढमगंज
56	R- B 88 /21	म्योरपुर	Myorpur	407	279.735	भानुमती गोदाम, दुद्धी
57	R- B 89 /21	म्योरपुर	Myorpur	622	446.560	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
58	R- B 92 /21	म्योरपुर	Myorpur	730	522.225	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
59	R- B 93 /21	म्योरपुर	Myorpur	816	610.148	पताका इडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
60	R- B 100/21	ओबरा	Obra	260	179.150	परसोई गोदाम, परसोई
61	R- B 103 /21	पिपरी	Pipri	906	664.630	अन्जु जायसवाल गोदाम,दुद्धी
62	R- B 107 /21	विण्ढमगंज	Wyndhamganj	700	567.100	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्ढमगंज
62	R- B 108 /21	विण्ढमगंज	Wyndhamganj	700	568.000	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्ढमगंज
64	R- B 110 /21	विण्ढमगंज	Wyndhamganj	267	216.682	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्ढमगंज
65	R- B 111 /21	विण्ढमगंज	Wyndhamganj	382	320.975	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्ढमगंज
66	R- B 112 /21	विण्ढमगंज	Wyndhamganj	700	560.780	भागीरथी गोदाम,हीराचक
67	R- B 113 /21	विण्ढमगंज	Wyndhamganj	821	656.743	भागीरथी गोदाम,हीराचक
68	R- B 114 /21	विण्ढमगंज	Wyndhamganj	96	75.250	भागीरथी गोदाम,हीराचक
69	R- B 121 /21	विण्ढमगंज	Wyndhamganj	351	278.300	लक्ष्मी नारायण गोदाम,दुद्धी
	69 लार्टे	योग		46449	35425.549	
	92 लार्टे	प्रभाग का कुल योग		47827	36487.560	

मीरजापुर लौगिंग प्रभाग, मीरजापुर
वर्ष 2021 तेन्दू पत्ता सीजन
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र०सं०	लाट संख्या	इकाई/सेक्सन का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	M-A 02/21	गहिला	Gahila	42	33.600	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
2	M-A 08/21	चौरा	Chaura	98	74.400	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
3	M-A 09/21	देवरी	Deori	50	35.000	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
4	M-A 10/21	माँची	Manchi	49	39.200	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
5	M-A 11/21	मझुई	Majhuae	69	53.350	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
6	M-A 12/21	सिलहट	Silahat	63	48.900	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
7	M-A 13/21	सुअर सोत	Suar sot	115	88.960	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
8	M-A 14/21	दरेव	Darev	54	42.815	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
9	M-A 15/21	रौप	Raup	605	485.600	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
10	M-A 16/21	चिरुई	Cheruee	50	39.150	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
11	M-A 17/21	मऊ	Mau	48	35.700	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
12	M-A 19/21	रामपुर	Rampur	240	178.950	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
13	M-A 20/21	कर्सी/मुर्तिया	Purna / Murtia	410	328.000	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
14	M-A 21/21	लेढुकी द०	Leduki South	35	28.000	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
15	M-A 22/21	लेढुकी उ०	Leduki North	55	44.000	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
16	M-A 25/21	बंजारी प०	Banjari West	121	101.250	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
17	M-A 27/21	भैसोड	Bhaisod	25	20.000	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
18	M-A 28/21	घौरा/कवलझर	Kawaljhar/Chaura	304	243.200	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
	18 लाटें	योग		2433	1920.075	

वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटें

क्र०सं०	लाट संख्या	इकाई/सेक्सन का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	M-B 01/21	रामगढ़ से०	Ramgarh Sec.	327	251.605	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
2	M-B 02/21	रामगढ़ से०	Ramgarh Sec.	467	376.975	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
3	M-B 03/21	रामगढ़ से०	Ramgarh Sec.	331	249.215	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
4	M-B-04/21	चुर्क से०	Churk Sec.	514	393.884	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
5	M-B-05/21	चुर्क से०	Churk Sec.	666	525.737	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
6	M-B 06/21	चुर्क से०	Churk Sec.	241	185.917	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
7	M-B 07/21	चुर्क से०	Churk Sec.	192	136.000	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
8	M-B 08/21	चुर्क से०	Churk Sec.	326	237.885	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
9	M-B 09/21	ड्रमण्डगंज से०	Drumandganj Sec.	457	400.880	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
10	M-B 10/21	चुनार से०	Chunar Sec.	188	158.650	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
11	M-B 11/21	ड्रमण्डगंज से०	Drumandganj Sec.	410	359.830	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
12	M-B 12/21	हलिया से०	Halia Sec.	359	273.389	चुर्क गोदाम, सोनभद्र

13	M-B 13/21	पटेहरा से0	Patehara Sec.	287	224.740	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
14	M-B 14/21	घोरावल से0	Ghorawal Sec.	638	505.985	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
15	M-B 15/21	मझगाई से0	Majhagai Sec.	321	236.202	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
16	M-B 16/21	नौगढ़ से0	Naugarh Sec.	472	373.680	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
17	M-B 18/21	मझगाई से0	Majhagai Sec.	340	259.277	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
18	M-B 19/21	नौगढ़ से0	Naugarh Sec.	304	232.405	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
19	M-B 21/21	चकिया से0	Chakia Sec.	395	352.530	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
20	M-B 22/21	चकिया से0	Chakia Sec.	581	525.055	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
21	M-B 24/21	नौगढ़ से0	Naugarh Sec.	350	275.430	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
22	M-B 25 /21	नौगढ़ से0	Naugarh Sec.	341	268.350	विभूति ग्लास फैक्ट्री रामनगर, वाराणसी
	22 लाटें	योग		8507	6803.621	
	40 लाटें	प्रभाग का योग		10940	8723.696	

प्रयागराज लौगिंग प्रभाग, प्रयागराज

वर्ष 2021 तेन्दू पत्ता सीजन
वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटें

क्र0सं0	लाट संख्या	इकाई का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0 बोरा	मा0 बोरा	
1	P-B 02/21	बड़ोखर-II	Barokhar-II	409	324.585	चक्रवाल, गोदाम मिर्जापुर
2	P-B 04/21	संसारपुर	Sansarpur	358	262.915	चक्रवाल, गोदाम मिर्जापुर
	02 लाटें	योग		767	587.500	
	42 लाटें	प्रभाग का योग		11707	9311.196	
	134 लाटें	प्रयागराज क्षेत्र का योग		59534	45798.756	

कर्वी लौगिंग प्रभाग, कर्वी

वर्ष 2021 तेन्दू पत्ता सीजन
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क0 सं0	लाट संख्या	इकाई		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0बो0	मा0बो0	
1	2	3	4	5	6	7
1	K-A 1/21	अगरहुण्डा	AGARHUNDA	1382	829.590	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
2	K-A 3/21	बबुरी	BABURI	980	658.470	मण्डी समिति गोदाम, मऊ मानिकपुर
3	K-A 5/21	भौरी	BHAURI	300	200.450	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
4	K-A 11/21	देशाह	DESHAH	561	355.640	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
5	K-A 17/21	गढ़वा	GADAWA	1167	873.567	मण्डी समिति गोदाम, मऊ मानिकपुर
6	K-A 18/21	गढ़चपा (अ)	GARHCHAPA A	550	362.535	मण्डी समिति गोदाम, मऊ मानिकपुर
7	K-A 19/21	गढ़चपा (ब)	GARHCHAPA B	812	479.880	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
8	K-A 20/21	हनुवा	HANUA	601	368.210	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
9	K-A 21/21	कल्चिहा / बोझ	KALCHIYA/BOJH	594	398.510	मण्डी समिति गोदाम, मऊ मानिकपुर
10	K-A 22/21	कटैयाडांडी	KATAIYA DANDI	293	213.730	मण्डी समिति गोदाम, मऊ मानिकपुर
11	K-A 40/21	मनकाछतैनी / गुइयाकला	MANAKACHHATAINI/ GUINYAKALA	533	365.775	मण्डी समिति गोदाम, मऊ मानिकपुर

12	K-A 42/21	पथरा छतैनी	PATHARA CHHATAINI	289	164.793	मण्डी समिति गोदाम, अतर्रा
13	K-A 45/21	रुकमाखुर्द	RUKMAKHURD	410	259.535	मण्डी समिति गोदाम, अतर्रा
14	K-A 47/21	सरहट अ	SARAHAT A	447	225.725	मण्डी समिति गोदाम, मऊ मानिकपुर
15	K-A 48/21	सरहट ब	SARAHAT B	889	572.195	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
16	K-A 51/21	सिमरदहा I	SIMARDAHA I	857	488.385	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
17	K-A 52/21	सिमरदहा II	SIMARDAHA II	562	320.275	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
18	K-A 53/21	टिकरिया	TIKARIYA	291	159.400	मण्डी समिति गोदाम, मऊ मानिकपुर
19	K-A 55/21	वरियारी कला / परदवां	VARIYARI KALA/PARDAWA	955	638.730	मण्डी समिति गोदाम, मऊ मानिकपुर
	19 लाटें	योग		12473	7935.395	

वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटें

क्र०सं०	लाट संख्या	इकाई	UNIT	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा०बो०	मा०बो०	
1	K-B 2/21	बरगढ़ सैक्शन	BARAGARH SECTION	557	403.095	मण्डी समिति गोदाम, मऊ मानिकपुर
2	K-B 3/21	कर्वी सैक्शन	KARWI SECTION	626	380.075	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
3	K-B 4/21	मानिकपुर सैक्शन	MANIKPUR SECTION	121	144.115	मण्डी समिति गोदाम, मऊ मानिकपुर
4	K-B 6/21	रामनगर सैक्शन	RAMNAGAR SECTION	456	296.400	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
5	K-B 7/21	रामनगर सैक्शन	RAMNAGAR SECTION	603	391.950	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
6	K-B 8/21	रामनगर सैक्शन	RAMNAGAR SECTION	662	430.678	टी0 पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
	06 लाटें	योग		3025	2046.313	
	25 लाटें	प्रभाग का योग		15498	9981.708	
	25 लाटें	लखनऊ क्षेत्र का कुल योग		15498	9981.708	
	159 लाटें	प्रयागराज एवं लखनऊ क्षेत्र का कुल योग		75032	55780.464	

रेनुकूट लौगिंग प्रभाग, रेनुकूट

**वर्ष 2020 तेन्दू पत्ता सीजन
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें**

क्र० सं०	लाट सं० व वर्ष	इकाई का नाम		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	R- A 04 /20	अमरसोता	Amarsota	116	76.300	परसोई गोदाम, परसोई
2	R- A 05 /20	अमरसोता	Amarsota	131	87.770	परसोई गोदाम, परसोई
3	R- A 22 /20	बसुधा	Basudha	48	27.400	लक्ष्मी नारायण गोदाम, दुद्धी
4	R- A 25 /20	बहेराडोल	Behradol	57	45.600	भानुमती गोदाम, दुद्धी
5	R- A 26 /20	बहेराडोल पश्चिमी	Behradol West	53	38.231	भानुमती गोदाम, दुद्धी
6	R- A 27 /20	बहेराडोल पश्चिमी	Behradol West	178	128.515	भानुमती गोदाम, दुद्धी
7	R- A 29 /20	बेलगढी-ब	Belgadhi-B	117	81.030	जुगैल द्वितीय गोदाम, जुगैल
8	R- A 41 /20	धूमा -ब	Dhuma -B	52	46.600	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
9	R- A 42 /20	डोडहर, सिरसोती	Dodhar, Sirsoti	17	13.400	अशोक शुक्ला गोदाम, दुद्धी

10	R- A 47 /20	गाढ़ा	Gadha	16	10.500	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
11	R- A 57 /20	गुरमुरा-ब	Gurmura-B	14	10.000	लक्ष्मी नारायण गोदाम, दुद्धी
12	R- A 58 /20	हरनाकछार- अ	Harna Kachhar-A	179	156.740	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
13	R- A 59/20	हरनाकछार- ब	Harna Kachhar B	139	110.720	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
14	R- A 63 /20	हाथीनाला, हथवानी	Hathinala, Hathwani	85	59.800	भानुमती गोदाम, दुद्धी
15	R- A 66 /20	जाताजुआं (धूरपा)	Jatajuan (Dhurpa)	135	110.970	भागीरथी गोदाम, हीराचक
16	R- A 68 /20	जोरुखाड़	Jorukhad	60	49.950	भागीरथी गोदाम, हीराचक
17	R- A 72 /20	करहिया	Karahia	279	223.786	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
18	R- A 79 /20	कोरगी	Korgi	54	42.850	भागीरथी गोदाम, हीराचक
19	R- A 81 /20	कोटा	Kota	39	26.000	लक्ष्मी नारायण गोदाम, दुद्धी
20	R- A 86 /20	मझौली	Majhaulee	45	30.178	भानुमती गोदाम, दुद्धी
21	R- A 87 /20	मझौली	Majhaulee	87	55.392	भानुमती गोदाम, दुद्धी
22	R- A 89 /20	मुर्धवा (रेनुकूट)-अ	Murdwa (Renukoot)- A	16	11.200	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
23	R- A 90 /20	मुर्धवा (रेनुकूट)-ब	Murdwa (Renukoot) -B	9	6.300	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
24	R- A 91 /20	नदहरी	Nadhari	201	132.550	परसोई गोदाम, परसोई
25	R- A 94 /20	नवाटोला	Navatola	94	58.900	परसोई गोदाम, परसोई
26	R- A 95 /20	नवाटोला	Navatola	91	58.610	परसोई गोदाम, परसोई
27	R- A 96 /20	नेमना-अ	Nemna -A	37	29.600	अशोक शुक्ला गोदाम, दुद्धी
28	R- A 100 /20	पिपरा-ब	Pipra-B	60	36.550	जुगैल द्वितीय गोदाम, जुगैल
29	R- A 101 /20	परसोई	Parsoi	49	34.000	परसोई गोदाम, परसोई
30	R- A 102 /20	परसोई	Parsoi	43	30.505	परसोई गोदाम, परसोई
31	R- A 105 /20	रजखड़	Rajkhad	37	25.678	भानुमती गोदाम, दुद्धी
32	R- A 106 /20	रजखड़	Rajkhad	31	21.450	भानुमती गोदाम, दुद्धी
33	R- A 120 /20	सेमिया-अ	Semia-A	226	148.790	एस0डी0 मिश्रा गोदाम (प्रथम), सलखन
34	R- A 122 /20	सुईचट्टान	Suichattan-	191	152.400	भागीरथी गोदाम, हीराचक
35	R- A 128 /20	वनमहरी (शिशवा)	Vanmahri (Shishwa)	66	42.500	अन्जु जायसवाल गोदाम, दुद्धी
36	R- A 130 /20	वासिन-अ	Wasin-A	405	331.845	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
37	R- A 131 /20	वासिन-ब	Wasin-B	122	99.400	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
38	R- A 132 /20	विण्डमगंज	Wyndhmganj	59	46.145	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
	38 लाटें	योग		3638	2698.155	

वर्षा से प्रभावित लाटें

क0सं0	लाट सं0 व वर्ष	सेक्शन का नाम (इकाई का नाम)		वा0 बोरा	मा0 बोरा	गोदाम
1	R- B 01 /20	अनपरा (वियहवा)	Anpara	383	286.190	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
2	R- B 02 /20	अनपरा (लोझरा, बैरपान, असनहर)	Anpara	372	249.470	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी

3	R- B 03 /20	अनपरा (खजुरा,औड़ी ,रणहोर, लोझरा,बैरपान, वियहवा)	Anpara	279	202.093	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
4	R- B 04 /20	बभनी-1(डुमरहर, करमघट्टी)	Babhni-1	352	247.535	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
5	R- B 09 /20	बभनी-1(कनवा,वजिया, घघरी)	Babhni-1	464	342.700	अन्जु जायसवाल गोदाम,दुद्धी
6	R- B 10 /20	बभनी-1 (घघरी, अघौरा,वनमहरी(शिशवा)	Babhni-1	471	348.125	अन्जु जायसवाल गोदाम,दुद्धी
7	R- B 12 /20	बभनी-2 (सागोबाँध, चकबदरी)	Babhni-2	475	376.600	अन्जु जायसवाल गोदाम,दुद्धी
8	R- B 13 /20	बभनी-2(चकबदरी , बैना,आसनडीह)	Babhni-2	465	368.700	अन्जु जायसवाल गोदाम,दुद्धी
9	R- B 14 /20	बभनी-2(आसनडीह,मच बन्धवा-ब,करघाटोला)	Babhni-2	478	379.265	अन्जु जायसवाल गोदाम,दुद्धी
10	R- B 15 /20	डाला (अवाड़ी - ब)	Dala	326	201.640	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
11	R- B 16 /20	डाला (अवाड़ी - स)	Dala	326	206.295	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
12	R- B 18 /20	डाला (गुरमुरा-अ,बअवाड़ी -अ,कोटा, चोपन, बसुधा)	Dala	455	317.230	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
13	R- B 19 /20	डाला (गुरमुरा-अ,बअवाड़ी-अ,कोटा , चोपन, बसुधा)	Dala	447	311.655	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
14	R- B 20 /20	डाला (गुरमुरा-अ,बअवाड़ी -अ,कोटा, चोपन, बसुधा)	Dala	420	292.830	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
15	R- B 21 /20	डाला (गुरमुरा-अ,बअवाड़ी -अ,कोटा, चोपन, बसुधा)	Dala	463	322.815	लक्ष्मी नारायन गोदाम,दुद्धी
16	R- B 22 /20	दुद्धी (बहेराडोल)	Duddhi	400	303.886	भानुमती गोदाम, दुद्धी
17	R- B 29 /20	गोहणा (बघाडू (अमवार),भीसुर)	Gohada	362	271.270	भागीरथी गोदाम, हीराचक
18	R- B 30 /20	जरहा (जरहा पूर्वी- अ, मजीठ-अ,ब,जरहा पूर्वी -ब, इंजानी, पर्वतवा)	Jarha	390	256.310	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
19	R- B 31 /20	जरहा (महुली- ब)	Jarha	350	256.230	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
20	R- B 33 /20	जरहा (जरहा पश्चिमी- अ,ब)	Jarha	339	267.525	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
21	R- B 34 /20	जरहा (नेमना- अ)	Jarha	264	210.400	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
22	R- B 35 /20	जरहा (नेमना- ब)	Jarha	352	262.580	अशोक शुक्ला गोदाम,दुद्धी
23	R- B 36 /20	जुगैल-अ (जुगैल -अ)	Jugail- A	429	247.160	जुगैल प्रथम गोदाम,जुगैल
24	R- B 37 /20	जुगैल-अ (जुगैल-ब,अगोरी-अ)	Jugail- A	520	341.055	जुगैल प्रथम गोदाम,जुगैल
25	R- B 41 /20	जुगैल-ब (बेलगढ़ी अ, ब, पिपरा ब)	Jugail-B	441	296.970	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
26	R- B 42 /20	जुगैल-ब (पिपरा - अ)	Jugail-B	401	252.993	जुगैल द्वितीय गोदाम,जुगैल
27	R- B 44 /20	कोन (रामगढ़ - अ)	Kon	395	313.438	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
28	R- B 45 /20	कोन (रामगढ़ - अ, ब)	Kon	398	315.820	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
29	R- B 46 /20	कोन (रामगढ़ - ब)	Kon	390	309.470	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज
30	R- B 47 /20	कोन (रामगढ़ - ब,स)	Kon	396	314.232	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्डमगंज

31	R- B 48 /20	कोन (रामगढ़- स,हरा-अ)	Kon	399	316.612	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
32	R- B 49 /20	कोन (हरा- अ, ब)	Kon	400	317.407	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
33	R- B 50 /20	कोन (हरा-ब,सरैया -स)	Kon	376	298.362	बेला देवी जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
34	R- B 53 /20	कोन (सरैया-अ)	Kon	349	275.510	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्ढमगंज
35	R- B 54 /20	कोन (सरैया-अ)	Kon	351	280.230	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्ढमगंज
36	R- B 55 /20	कोन (सरैया-अ)	Kon	347	275.485	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्ढमगंज
37	R- B 59/20	कोन (केवाल-ब)	Kon	450	341.740	गौरी शंकर दूवे गोदाम, विण्ढमगंज
38	R- B 65 /20	ओबरा (टापू पनारी)	Obra	509	322.470	एस0डी0 मिश्रा गोदाम (प्रथम)सलखन
39	R- B 66 /20	पिपरी (मुर्घवा (रेनुकूट)-ब)	Pipri	342	239.280	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
40	R- B 67 /20	पिपरी(महुलाईनसोत,मुर्घवा(रेनुकूट)-अ,बेलहत्थी,रानीताली)	Pipri	380	265.430	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
41	R- B 70 /20	पिपरी (महुलाईनसोत)	Pipri	386	262.655	पताका इंडस्ट्रीज गोदाम, दुद्धी
42	R- B 73 /20	तरिया (बसुहारी, ससनई)	Tariya	241	175.551	एस0डी0 मिश्रा गोदाम(प्रथम)सलखन
43	R- B 75 /20	विण्ढमगंज (विण्ढमगंज)	Wyndhamganj	223	177.677	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
44	R- B 76 /20	विण्ढमगंज (हरनाकछार-अ)	Wyndhamganj	383	325.970	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
45	R- B 77 /20	विण्ढमगंज (औराडंडी)	Wyndhamganj	294	233.265	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
46	R- B 78 /20	विण्ढमगंज (करहिया)	Wyndhamganj	250	198.250	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
47	R- B 79 /20	विण्ढमगंज (करहिया)	Wyndhamganj	251	200.309	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
48	R- B 80 /20	विण्ढमगंज (वासिन-अ)	Wyndhamganj	290	216.790	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
49	R- B 81 /20	विण्ढमगंज (वासिन-अ)	Wyndhamganj	297	222.030	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
50	R- B 82 /20	विण्ढमगंज (धूमा - ब)	Wyndhamganj	236	201.330	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
51	R- B 83 /20	विण्ढमगंज (हरनाकछार-अ)	Wyndhamganj	284	223.060	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
52	R- B 84 /20	विण्ढमगंज (वासिन-ब)	Wyndhamganj	126	105.100	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, विण्ढमगंज
53	R- B 85 /20	विण्ढमगंज (सुईचटान)	Wyndhamganj	350	297.503	भागीरथी गोदाम, हीराचक
54	R- B 86 /20	विण्ढमगंज (सुईचटान)	Wyndhamganj	350	262.497	भागीरथी गोदाम, हीराचक
55	R- B 88 /20	विण्ढमगंज (सुईचटान, जोरुखाड, कोरगी)	Wyndhamganj	331	268.185	भागीरथी गोदाम, हीराचक
	55 लार्टे	योग		20198	14975.180	
	93 लार्टे	प्रभाग का कुल योग		23836	17673.335	

मीरजापुर लौगिंग प्रभाग, मीरजापुर
वर्ष 2020 तेन्दू पत्ता सीजन
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाट

क्र०सं०	लाट संख्या	इकाई का नाम		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	M-A 30/20	सोनगढ़ा	Songadha	569	482.700	चक्रवाल, गोदाम, मिर्जापुर
	01 लाट	योग		569	482.700	

वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटें

क्र०सं०	लाट संख्या	सेक्शन का नाम		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	M-B 05/20	घोरावल से०	Ghorawal	392	312.032	चक्रवाल, गोदाम मिर्जापुर
2	M-B 06/20	घोरावल से०	Ghorawal	387	307.418	चक्रवाल, गोदाम मिर्जापुर
3	M-B 09/20	रामगढ़ से०	Ramgarh	220	174.310	शिवकुमार त्रिपाठी गोदाम, मारकुन्डी
	03 लाटें	योग		999	793.760	
	04 लाटें	प्रभाग का योग		1568	1276.460	

वर्ष 2018 सीजन की सी-1 स्टाक की लाट

क्र०सं०	लाट संख्या	इकाई का नाम		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	वा० बोरा	
1	34/18-19	सी-1 स्टाक	C-1	10	7.600	लालगंज रेंज परिसर
		01 लाट		10	7.600	
	05 लाटें	प्रभाग का कुल योग		1578	1284.060	
	98 लाटें	प्रयागराज क्षेत्र का कुल योग		25414	18957.395	

कर्वी लौगिंग प्रभाग, कर्वी
वर्ष 2020 तेन्दू पत्ता सीजन
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क0सं0	लाट संख्या	इकाई		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0बो0	मा0बो0	
1	K-A 1/20	अगरहुण्डा	AGARHUNDA	441	250.281	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
2	K-A 13/20	इटवा	ETAWA	906	612.737	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
3	K-A 15/20	गढवा	GADAWA	417	299.663	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
4	K-A 18/20	हनुवा	HANUA	578	363.600	टी0पी0गुप्ता गोदाम मानिकपुर
	04 लाटें	योग		2342	1526.281	

वर्षा से प्रभावित लाटे

क0सं0	लाट संख्या	इकाई		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0बो0	मा0बो0	
1	K-B 1/20	अतर्रा सेक्शन	ATTRA SECTION	1058	684.915	मण्डी समिति गोदाम बदौसा
2	K-B 2/20	बरगढ़ सेक्शन	BARAGARH SECTION	56	43.850	टी0पी0गुप्ता गोदाम मानिकपुर
3	K-B 3/20	कर्वी सेक्शन	KARWI SECTION	478	306.955	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
4	K-B 5/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	900	516.978	रसिन गोदाम
5	K-B 6/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	890	511.235	रसिन गोदाम
6	K-B 7/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	870	499.745	रसिन गोदाम
7	K-B 8/20	मारकुण्डी सेक्शन	MARKUNDI SECTION	880	505.492	रसिन गोदाम
8	K-B 9/20	रामनगर सेक्शन	RAMNAGAR SECTION	16	9.850	टी0पी0गुप्ता गोदाम मानिकपुर
9	K-B 10/20	रामनगर सेक्शन	RAMNAGAR SECTION	389	252.324	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
10	K-B 11/20	रामनगर सेक्शन	RAMNAGAR SECTION	998	590.369	मण्डी समिति गोदाम बदौसा
11	K-B 12/20	रसिन सेक्शन	RASIN SECTION	1021	676.450	रसिन गोदाम
12	K-B 13/20	रसिन सेक्शन	RASIN SECTION	1018	674.426	रसिन गोदाम
	12 लाटें	योग		8574	5272.589	

सी-1 की लाट

क0सं0	लाट संख्या	इकाई		भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा0बो0	मा0बो0	
1	K-C 1/20	सी-1	C-1	9	4.100	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
	01 लाट	योग		9	4.100	
	17 लाटें	प्रभाग का कुल योग		10925	6802.970	

कर्वी लौगिंग प्रभाग, कर्वी
वर्ष 2018 तेन्दू पत्ता सीजन की वर्षा से प्रभावित लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा० बोरा	मा० बो०	
1	2	3	4	5	6
1.	क-53/18	रामनगर सेक्शन	13	11.500	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
	1 लाट	योग	13	11.500	

ललितपुर लौगिंग प्रभाग, ललितपुर
वर्ष 2018 तेन्दू पत्ता सीजन
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की अवशेष लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा० बोरा	मा० बो०	
1	2	3	4	5	6
1	ल-9/18	बम्हौरी खुर्द	502	468.780	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
2	ल-15/18	पारौल	437	347.805	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
3	ल-21/18	सेपुरा	749	673.600	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
	03 लाटें	योग	1688	1490.185	
	21 लाटें	कुल योग लखनऊ क्षेत्र	12626	8304.655	
	119 लाटें	कुल योग प्रयागराज एवं लखनऊ क्षेत्र	38040	27262.050	

कार्यालय- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।

पत्रांक-2905/ते0प0/विकी/2022

/दिनांक 14.02.2023

सेवा में,

मे0 आर0 डी0

एडवर्टाइजिंग प्रा0 लि0,

257, चक, जीरो रोड -प्रयागराज।

विषय- तेन्दू पत्ता विकी सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचना को निम्न लिखित समाचार पत्रों में दिनांक 15.02.2023 को कम से कम स्थान में केवल एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशन के उपरान्त विज्ञापन बिल सरकारी विभागों हेतु निर्धारित न्यूनतम दरों पर तैयार कर प्रकाशित सामग्री की प्रति सहित दो प्रतियों में इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया प्रकाशित समाचार पत्र की एक-एक प्रति पुष्टि हेतु तुरन्त इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें-

1. दैनिक जागरण, प्रयागराज, वाराणसी एवं झाँसी संस्करण।
2. हिन्दुस्तान, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी एवं लखनऊ संस्करण।
3. दैनिक भास्कर, रायपुर, एवं जबलपुर।
4. अमर उजाला, बरेली एवं मुरादाबाद।
5. दैनिक आज, पटना एवं राँची।
6. आजकल, कोलकाता।
7. टाइम्स आफ इंडिया, भोपाल, पटना, राँची एवं कोलकाता संस्करण।
8. दि हिन्दू दैनिक समाचार पत्र, हैदराबाद।

उत्तर प्रदेश वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज

दूरभाष एवं फैक्स - +91532-2427536



तेन्दू पत्ता विक्री हेतु खुली-सार्वजनिक नीलामी सूचना-नीलाम तिथि 24.02.2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2022 सीजन की अवशेष व पूर्व वर्षों एवं अन्य अवशेष तेन्दूपत्ता की लाटों की विक्री खुले-नीलाम प्रणाली के माध्यम से वाराणसी, दुहरी एवं झाँसी विक्रय प्रभाग की लाटों का समिति नीलाम दिनांक 24.02.2023 के पूर्वान्ह 11:00 बजे से नीलाम की समाप्ति तक सगुन निलायम (गेस्ट हाउस) बी. एस. ए. आफिस के निकट, जगराम चौराहा, प्रयागराज, (उत्तर प्रदेश) में किया जायेगा।

उक्त नीलाम से सम्बन्धित विक्री सूची व विक्री शर्तें क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ अथवा उनके अधीन प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, दुहरी, वाराणसी एवं झाँसी के कार्यालय से कमशः दिनांक 18.02.2023 से कार्यालय अवधि में निर्धारित मूल्य का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। विक्री सूची व विक्री शर्तें दिनांक 18.02.2023 से उ0 प्र0 वन निगम की वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in पर भी उपलब्ध रहेगी।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज

भवदीय

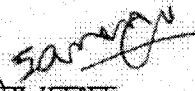
क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रयागराज

पत्रांक-2905/ते0प0/बिकी/2022/उक्तदिनांकित 14.02.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को महाप्रबन्धक (विपणन), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ के पत्रांक-508/ते0प0बिकी वर्ष 2022 दिनांक 14.02.2023 के क्रम में।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, प्रयागराज, मीरजापुर, कानपुर, बुन्देलखण्ड व बरेली।
4. महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक (विपणन/उत्पादन/पूर्वी), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ/प्रयागराज।
6. वन संरक्षक, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, झाँसी, चित्रकूट।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ० प्र० लखनऊ।
9. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चन्दौली, चित्रकूट, बाँदा, झाँसी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, जौनपुर, रायबरेली, मुरादाबाद एवं ज्योतिबा फुलेनगर।
10. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मीरजापुर, ओबरा, रेनुकूट, सोनभद्र, कैमूर वन्य जीव, भदोही, रामनगर वाराणसी, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बाँदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झाँसी, ललितपुर व उरई (जालौन)।
11. समस्त प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक, लौगिंग अधिकारी/विक्रय अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज एवं लखनऊ क्षेत्र।
12. प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर), कम्प्यूटर अनुभाग उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस नीलाम सूचना को उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
13. तेन्दूपत्ता कृतागण को डाक से।
14. कार्यालय सूचना पट।


क्षेत्रीय प्रबन्धक
प्रयागराज



उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता की खुले नीलाम द्वारा बिक्री हेतु शर्तें

1. **नीलाम परिसर में प्रवेश**—नीलाम परिसर में प्रवेश हेतु प्रत्येक व्यक्ति (आवश्यक सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर) को ₹0 10000/- (दस हजार रुपये मात्र) गेटमनी के रूप में नीलाम स्थल पर उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करना होगा। गेटमनी नीलाम स्थल पर नीलाम के दिन प्रातः 9.00 बजे से जमा की जायेगी। असफल क्रेताओं को उक्त धनराशि नीलाम की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात वापस कर दी जायेगी तथा सफल क्रेताओं के मामले में यह धनराशि जमानत के रूप में समायोजित कर दी जायेगी। परन्तु नीलाम में किसी प्रकार का व्यवधान तथा गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ गेटमनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
2. **नीलाम के दौरान सद्व्यवहार**— नीलाम में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति तथा बोली देने वाले नीलाम के दौरान सद्व्यवहार करेंगे। यदि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होगा जिससे नीलाम में कोई बाधा पड़े तो नीलामकर्ता अधिकारी को अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को नीलाम से बाहर निकाल/निकलवा दें और ऐसे व्यक्तियों की बोली स्वीकार न करें। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य कानूनी कार्यवाही करने का भी अधिकार होगा। यदि नीलाम करने वाले अधिकारी को विश्वास हो जाय कि किसी व्यक्ति ने नीलाम में गड़बड़ी या अड़चन पैदा की तो उनकी गेटमनी जब्त कर ली जायेगी तथा उसको अवॉछित घोषित कर दिया जायेगा।
3. **नीलाम परिसर में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र ले जाने का निषेध**— नीलाम परिसर में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

4— पत्ता का ग्रेड एवं "जहाँ भी है जैसे है" के तहत बिक्री —

(अ) वन निगम द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता को गोदामों में निम्नलिखित दो श्रेणियों में अलग-अलग भण्डारित किया गया है —

1. **सामान्य ग्रेड (ए):**— ग्रेड-बी के अतिरिक्त अन्य समस्त पत्ता।

2. **वर्षा से प्रभावित या पानी से खराब ग्रेड (बी):**—वर्षा प्रभावित बोरों का ऐसा पत्ता जो भीग जाने के कारण मटमैला/काला हो गया है।

सामान्य ग्रेड का पत्ता गोदामों में इकाईवार एवं लाटवार तथा वर्षा से प्रभावित श्रेणी का पत्ता इकाईवार/सेक्सनवार एवं लाटवार भण्डारित है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, लाट की बिक्री या निकासी "जहाँ भी है जैसे है" के तहत की जायेगी एवं वर्गीकरण के सम्बन्ध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा। इच्छुक क्रेता बोली देने से पूर्व पत्ते का भली-भाँति निरीक्षण करके पत्ते की गुणवत्ता का ऑकलन स्वयं करके बोली दें। पत्ते की गुणवत्ता या श्रेणी के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत बाद में मान्य या स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ब) शर्त संख्या 1(अ) के अनुसार लाट की बिक्री "जहाँ भी है जैसे है" के तहत होते हुए भी निगम को आवश्यकतानुसार लाट के तेन्दू पत्ता बोरों की पल्टाई, तौल एवं जाँच आदि करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसे "जहाँ भी है जैसे है" के शर्त का कोई उल्लंघन नहीं समझा जायेगा।

(स) गोदाम में बिक्री हुई लाट को यदि किसी परिस्थितिवश दूसरे गोदाम में स्थानान्तरण करना हो तो, वन निगम को ऐसा करने का अधिकार होगा, जिसकी सूचना कम से कम दस (10) दिन पूर्व क्रेता को उसके द्वारा अनुबन्धित पते पर प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा लिखित रूप में दी जायेगी।

- 5- **छँटाई का प्रतिबन्ध**— लाट के बोरो की निकासी लगी हुई छल्ली में एक तरफ से दी जायेगी। निकासी के दौरान बोरा को काटकर पत्ता या बोरा छोटने की अनुमति नहीं होगी। वह क्रेता जो लाट की निकासी छल्ली में से अपनी सुविधानुसार लेना चाहते हैं वह लाट का पूरा मूल्य एकमुश्त जमा करके ऐसा कर सकते हैं। परन्तु निकासी की अवधि इन विक्री शर्तों के अनुसार होगी।
- 6- **तेन्दूपत्ता नीलाम की बिक्री सूची एवं बिक्री शर्तें** नीलाम सूचना में सूचित दिनांक से सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक कार्यालय से निर्धारित मूल्य का भुगतान कर कार्यालय अवधि से प्राप्त किया जा सकता है। बिक्री सूची एवं बिक्री शर्तें नीलाम सूचना में सूचित दिनांक से वन निगम की वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in पर उपलब्ध होंगी।
- 7- **लाटवार बोली एवं दर**— नीलाम में विक्रय सूची के अनुसार लाटवार बोली ली जायेगी एवं दर रुपया-पैसा प्रति कि०ग्रा० में ली जायेगी।
- 8- **बिना कारण बताये किसी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार**— लाटों का नीलाम सामान्यतः उच्चतम बोली के आधार पर किया जायेगा परन्तु उत्तर प्रदेश वन निगम उच्चतम अथवा किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। निगम को यह अधिकार होगा कि वह उच्चतम अथवा किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें।
- 9- **लाट का अनुमोदन**— नीलाम में प्राप्त उच्चतम बोली के आधार पर लाटों के अनुमोदन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय इस हेतु अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।
- 10- **जमानत**— लाट की बोली समाप्त होते ही हथौड़ा गिरने पर उच्चतम बोली तथा द्वितीय उच्चतम बोली देने वाले व्यक्तियों को तुरन्त ही बिडलिस्ट पर हस्ताक्षर करना होगा तथा उच्चतम बोलीदाता को लाट के कुल अनुमानित विक्रय मूल्य (शत प्रतिशत भण्डारण वजन या ऐसा न होने पर 30 कि०ग्रा० प्रति वास्तविक बोरा वजन मानते हुए) का पन्द्रह प्रतिशत (परन्तु वर्षा से प्रभावित श्रेणी के तेन्दू पत्ता की लाटों के लिये जमानत की धनराशि लाट के अनुमानित विक्रय मूल्य का पच्चीस प्रतिशत) धनराशि बतौर जमानत एवं *उस पर देय जी०एस०टी० तुरन्त जमा करना* होगा। *देय जमानत की धनराशि के रूप में प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० वन निगम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक पर बना हुआ बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर अथवा आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० अथवा अन्य किसी अनुमन्य ऑनलाइन माध्यम से जो लखनऊ/इलाहाबाद/वाराणसी/दुधौ/झाँसी पर देय हो, स्वीकार किया जायेगा।* देय जमानत जमा न करने पर लाट की पुनः बिक्री कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित बोलीदाता की गेटमनी जफ्त कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त उसका नाम काली सूची में दर्ज करने पर विचार किया जायेगा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 185 के अधीन कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- 11- **नीलाम स्वीकृति की सूचना**— नीलाम अनुमोदन की सूचना सफल बोलीदाता को सामान्यतया सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय से वाट्सएप/एस०एम०एस०/ई-मेल/ अन्य माध्यम से क्रेता के बिडलिस्ट में दिये गये पते पर नीलाम की तिथि से चालीस (40) दिन के अन्दर दे दी जायेगी। उक्त स्वीकृति की सूचना यदि सफल बोलीदाताओं को नीलाम की तिथि से चालीस (40) दिन के अन्दर नहीं प्राप्त होती है तो, उन्हें चाहिए कि वे सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय से संपर्क कर इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो, स्वीकृति/अस्वीकृति अथवा अन्य जैसी भी स्थिति हो, की सूचना उन्हें प्राप्त हुई मानी जायेगी। परन्तु किन्हीं कारणवश, जो वन निगम के नियंत्रण से परे हो, वन निगम स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेने में अपने को असमर्थ पाये तो, ऐसी परिस्थिति में चालीस (40) दिन की अवधि में वह अवधि भी जुड़ जायेगी, जितनी अवधि तक वन निगम उसके

नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत स्वीकृति/अस्वीकृति या किसी भी प्रकार की सूचना देने में असमर्थ रहा। सम्बन्धित विक्रय प्रभाग के सूचना पट पर नीलाम स्वीकृति की सूचना चस्पा कर दी जायेगी और इसे उक्त की सूचना समझा जायेगा। नीलाम परिणाम उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट **www.upforestcorporation.co.in** पर भी उपलब्ध होगी।

12. सफल क्रेता द्वारा बिडलिस्ट में दिये गये पते पर पंजीकृत पत्र/पत्रवाहक द्वारा भेजी गई उत्तर प्रदेश वन निगम की चिट्ठियाँ उसे प्राप्त हुई समझी जायेगी। यदि क्रेता अपने स्थायी पते के अतिरिक्त किसी अन्य पते पर पत्र आदि प्राप्त करना चाहें तो ऐसे पते का स्पष्ट उल्लेख बिडलिस्ट में करना होगा। उक्त पते पर भी भेजी गई सभी पंजीकृत चिट्ठियाँ क्रेता को प्राप्त हुई समझी जायेगी।

13. **अनुबन्ध— सफल क्रेता को लाट की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 07 दिनों के अन्दर अनुबन्ध सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के साथ करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक यह कार्यवाही न करने पर लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं जमा जमानत धनराशि स्वतः जब्त समझी जायेगी, जिसकी कोई सूचना बोलीदाता को देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा तथा लाट की पुनः बिक्री करने के लिये वन निगम स्वतंत्र होगा।**

(ब) किसी अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या अविभाजित हिन्दू परिवार (कुटुम्ब) की ओर से बोली देने वाले व्यक्ति को अनुबन्ध करने के समय मुख्तारनामा या उसके पक्ष में सम्यक रूप से निष्पादित डीड या अन्य वैधानिक विलेख, जिसमें उसे यह प्राधिकार/शक्ति (अॅथारिटी) दी गयी हो, मूल रूप में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में उसके पक्ष में की गयी बिक्री को निरस्त करके जमा बन्धक धनराशि जब्त की जा सकती है। बोलीदाता को अपने स्थायी पते के प्रमाण हेतु सम्बन्धित तहसीलदार या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुबन्ध के समय देना अनिवार्य होगा तथा अपना नाम, पिता का नाम, अपना हस्ताक्षर एवं अपनी फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर भी देना होगा।

(स) यदि कोई क्रेता अपने लाट का हस्तान्तरण किसी दूसरे क्रेता के नाम पर करना चाहता है तो, ऐसा हस्तान्तरण दूसरे क्रेता द्वारा दस प्रतिशत (10%) अतिरिक्त जमानत तथा हस्तान्तरण शुल्क के रूप में **रुपये दस हजार (रु. 10,000/-) मात्र** जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा लिखित आदेश से किया जा सकता है। उक्त धनराशि पर जी0एस0टी0 भी नियमानुसार देय होगा।

(द) यदि किसी क्रेता ने एक ही प्रभाग की कई लाटें एक साथ क्रय की हों तथा वह इन लाटों की जमानत व किश्तों का निर्धारण एक साथ कराना चाहता हो तथा संयुक्त रूप से सभी लाटों के लिये एक अनुबन्ध करना चाहता हो तो, क्रेता के लिखित आवेदन पत्र पर ऐसा अनुबन्ध प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा किया जा सकता है। ऐसी दशा में उस अनुबन्ध की समस्त लाटों की कुल जमानत धनराशि का समायोजन अन्तिम निकासी के समय ही किया जायेगा।

- 14— **विक्रय मूल्य/किश्त का भुगतान, माल की निकासी तथा निकासी की मात्रा —** देय जमानत जमा करने एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के स्तर से विक्रय मूल्य की किश्त जमा करने एवं लाट से तेन्दू पत्ता निकासी हेतु आदेश जारी किया जायेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा जारी किये गये निकासी आदेश में दर्शित देय धनराशि का भुगतान एवं लाट से तेन्दू पत्ता की निकासी क्रेता को निम्नलिखित प्रकार से करनी होगी।

(अ) **विक्रय मूल्य का भुगतान —** अनुमानित विक्रय मूल्य के भुगतान हेतु किश्तें निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी —

1. जून/जुलाई के नीलाम की लाटों के लिये—

(i) रेनूकूट लौगिंग प्रभाग में परसोई एवं जुगैल गोदामों में भण्डारित लाटों के अलावा सामान्य ग्रेड की अन्य समस्त लाटों के लिये — रेनूकूट लौगिंग प्रभाग में परसोई एवं जुगैल गोदामों में भण्डारित लाटों के अलावा सामान्य ग्रेड की अन्य समस्त लाटों लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान चार (4) बराबर किशतों में करना होगा, जो तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किशत बिक्री की स्वीकृति की तिथि से इक्तालीसवें (41 वें) दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो (2) बराबर किशतों में करना होगा। प्रथम किशत इक्तालीसवें (41 वें) दिन तथा दूसरी किशत तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी।

(ii) रेनूकूट लौगिंग प्रभाग में परसोई एवं जुगैल गोदामों में भण्डारित लाटों के लिये — रेनूकूट लौगिंग प्रभाग के अन्तर्गत परसोई तथा जुगैल स्थित गोदामों में भण्डारित सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता लाटों का अनुमानित विक्रय मूल्य निम्न प्रकार तीन बराबर किशतों में जमा करना होगा।

पहली किशत— अन्य लाटों की भाँति स्वीकृति की तिथि के इक्तालीसवें (41वें) दिन।

दूसरी किशत— स्वीकृति की तिथि के एक सौ एकवें (101वें) दिन।

तीसरी अन्तिम किशत— स्वीकृति की तिथि के एक सौ इक्तीसवें (131वें) दिन। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के लिये पहली किशत स्वीकृति तिथि के इक्तालीसवें (41वें) दिन एवं दूसरी किशत स्वीकृति की तिथि के एक सौ एकवें (101वें) दिन देय होगी।

2. अगस्त/सितम्बर/अक्टूबर के नीलाम की लाटों के लिये—

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान तीन (3) बराबर किशतों में करना होगा, जो तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। पहली किशत बिक्री की स्वीकृति की तिथि से इक्तालीसवें (41वें) दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो (2) बराबर किशतों में करना होगा। पहली किशत इक्तालीसवें (41वें) दिन तथा दूसरी किशत तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी।

3. नवम्बर/दिसम्बर एवं पश्चात्वर्ती नीलाम की लाटों के लिये—

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो (2) बराबर किशतों में करना होगा, जो तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। पहली किशत बिक्री की स्वीकृति की तिथि से इक्तालीसवें (41वें) दिन देय होगी तथा दूसरी किशत तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान एक किशत में करना होगा।

नोट:— यदि अन्तिम किशत जमा करके निकासी करते समय विक्रय मूल्य अनुमानित विक्रय मूल्य से अधिक होता है, तो अन्तर की धनराशि जमा करने के बाद क्रेता को निकासी दी जायेगी। अनुमानित विक्रय मूल्य से अधिक की धनराशि को, अन्तिम किशत जमा करने के तीस (30) दिनों के अन्दर, परन्तु निकासी से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अन्तिम निकासी में विक्रय मूल्य अनुमानित मूल्य से कम होता है तो, किशतों की धनराशि वास्तविक विक्रय मूल्य की सीमा तक क्रेता को जमा करनी होगी। ऐसी स्थिति में भी अन्तिम देय किशत की देय तिथि से साठ (60) दिनों के अन्दर सम्पूर्ण निकासी क्रेता को लेनी होगी। यदि क्रेता अधिक धनराशि जमा कर देता है तो, उसे क्रेता के प्रार्थना पत्र देने पर वापस किया जायेगा।

4.(अ) यदि क्रेता द्वारा कय की गई लाट/लाटों का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, प्रथम किश्त की देय तिथि तक जमा किया जाता है, तो उसे सम्पूर्ण विक्रय मूल्य की धनराशि पर एक प्रतिशत (1%) की छूट दी जायेगी।

(ब) किसी भी समय जमा किश्त की धनराशि (जमानत को छोड़कर) से अधिक मूल्य के माल की निकासी नहीं दी जायेगी। यदि कोई किश्त जमा है, तो इसके विरुद्ध निकासी अगली किश्त की देय तिथि से पूर्व तक ही क्रेता द्वारा ली जा सकती है अन्यथा, अगली किश्त की देय धनराशि जमा करने के उपरान्त ही निकासी दी जा सकेगी।

अन्तिम देय किश्त की तिथि से साठ (60) दिन के अन्दर सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी, परन्तु मार्च से जून के मध्य तीस (30) दिन के अन्दर ही सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी।

(स) यदि क्रेता निर्धारित किश्त से अधिक धनराशि जमा कर अधिक जमा धनराशि के अनुरूप निकासी लेना चाहता है तो, उसे इस प्रतिबन्ध के साथ निकासी दी जा सकेगी कि, उस अतिरिक्त धनराशि का समायोजन उक्त लाट की अन्तिम देय किश्त में किया जायेगा और इस प्रकार अतिरिक्त जमा धनराशि के अनुरूप ही निकासी आगामी निर्धारित किश्त की तिथि से पूर्व करनी आवश्यक होगी।

(द) क्रेता द्वारा निर्धारित किश्त जमा करने के उपरान्त (अन्तिम किश्त छोड़कर) अगली किश्त की देय तिथि से पूर्व तेन्दू पत्ता की निकासी लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा निकासी की देय अन्तिम तिथि से निकासी तक वास्तविक गोदाम किराया जो भी देय हो, प्रतिमाह लिया जायेगा। यदि 31 मार्च तक निकासी नहीं ली जाती है तो छः(06) पैसा प्रति सौ रुपये प्रति दिन की दर से प्लॉट रेंट लेते हुए अधिकतम तीस (30) दिनों की मियाद वृद्धि की अनुमति सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी।

(य) शून्य काल— यदि वन निगम किन्हीं कारणों से, जो उसके नियंत्रण से परे हो, अधिकतम साठ (60) दिनों तक लाट की निकासी देने में असमर्थ होता है तो, जितनी अवधि तक निगम अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत निकासी देने में असमर्थ रहा, उतनी अवधि को शून्य काल मानते हुए क्रेता को किश्त जमा करने एवं निकासी हेतु मियाद वृद्धि दी जायेगी। परन्तु इस प्रकार के शून्य काल के कारण क्रेता को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी एवं न ही बिक्री संविदा निरस्त होने योग्य होगी। जिस अवधि के लिये शून्य काल घोषित किया जायेगा, उतने ही दिनों से निकासी की अवधि तथा अगली किश्तों की देयता की अवधि भी बढ़ जायेगी। परन्तु किसी भी हालत में बिना धनराशि जमा किये गये निकासी नहीं की जायेगी।

15— समय से किश्त न जमा करने पर विलम्ब शुल्क, बिक्री का निरस्तीकरण तथा क्रेता का नाम काली सूची में अंकित किया जाना तथा पुनः बिक्री पर हानि की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूली —

(अ) यदि शर्त संख्या-14 के अनुसार निर्धारित किश्त की देय तिथि पर कोई क्रेता किश्त की धनराशि जमा नहीं करता है तो, किश्त की देय तिथि से सात (07) दिनों के अन्दर बिना कोई विलम्ब शुल्क दिये क्रेता किश्त जमा कर सकता है, परन्तु यदि क्रेता किश्त की देय तिथि से सात (07) दिनों के अन्दर किश्त जमा नहीं करता है और उसे बाद की तिथि से जमा करना चाहता है तो, उसे इस आशय का लिखित आवेदन पत्र कारण दर्शाते हुये किश्त की देय तिथि से पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर प्रभागीय कार्यालय में देना होगा। ऐसे लिखित आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में रुपये एक सौ (रु. 100/-) मात्र तथा उस पर देय जी0एस0टी0 नकद या सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नाम पर बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करके धन प्राप्ति रसीद

लेना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन शुल्क के उसके आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और यह समझा जायेगा कि उसने कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है।

क्रेता द्वारा उपर्युक्त विधि से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर विचार करते हुये सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा छः (06) पैसे प्रति सौ रूपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क लेते हुये किश्त की देय तिथि से भुगतान की तिथि तक अधिकतम तीस (30) दिनों की समय सीमा तक मियाद वृद्धि दी जा सकती है। इसके उपरान्त अगले तीस (30) दिनों तक पूर्व निर्धारित दर पर मियाद वृद्धि देने का अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को होगा। **इसके पश्चात विशेष परिस्थितियों में विलम्ब शुल्क सहित मियाद वृद्धि देने का अधिकार महाप्रबन्धक (विपणन), उ० प्र० वन निगम लखनऊ को होगा।**

(ब) शर्त सं०-15 (अ) के अनुसार यदि क्रेता किसी किश्त की देय तिथि तक किश्त जमा नहीं करता है या निर्धारित विधि के अनुसार बढ़ाई गई समय सीमा में विलम्ब शुल्क सहित किश्त जमा नहीं करता है तो, लाट की बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा क्रेता की जमा जमानत जब्त कर ली जायेगी एवं उसका नाम काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा। वन निगम ऐसे लाटों को पुनः बेचने के लिये स्वतंत्र होगा। क्रेता को उसकी लाट की बिक्री निरस्त होने की कोई सूचना देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा।

(स) शर्त सं०-15 ब के अनुसार यदि किसी लाट की बिक्री निरस्त कर उसकी पुनः बिक्री की जाती है तो, बिक्री के उपरान्त कम मूल्य प्राप्त होने पर पूर्व क्रेता की जब्त की गयी जमानत की धनराशि को समायोजित करने के पश्चात् अवशेष धनराशि का समायोजन अन्य लाटों के विरुद्ध निगम में उक्त पूर्व क्रेता की जमा वापसी योग्य धनराशि से किया जायेगा।

(द) यदि शर्त संख्या- 15 स में उल्लिखित प्रक्रिया के उपरान्त भी निगम को हुई आर्थिक हानि की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो, आर्थिक हानि की अवशेष धनराशि की वसूली पूर्व क्रेता से भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

- 16- **निकासी की अवधि वृद्धि एवं गोदाम किराया** - यदि कोई क्रेता निर्धारित समय के अनुसार लाट की सम्पूर्ण देय धनराशि जमा कर देता है परन्तु शर्त -14 ब के अनुसार निर्धारित अवधि में लाट के सम्पूर्ण माल की निकासी नहीं ले पाता है तो, रूपये दो (रु. 2/-) मात्र प्रति वास्तविक बोरा प्रति माह की दर से गोदाम किराया लेकर निकासी हेतु अधिकतम तीस (30) दिनों की अवधि वृद्धि सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकती है। माह के अंश को गणना में पूरा माह माना जायेगा। पूरी किश्त की धनराशि जमा होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में अगले तीस (30) दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को तथा **इससे अधिक अवधि विस्तार का अधिकार महाप्रबन्धक, (विपणन) को होगा।** तत्पश्चात् लाट की बिक्री निरस्त कर जमा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य जब्त किया जायेगा।

क्रेता द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त की गयी निकासी की समय वृद्धि में यदि गोदाम में कोई दुर्घटना अथवा क्षति होती है तो, उसका उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा।

- 17- **विलम्ब शुल्क तथा गोदाम किराया की दरों को कम करने का अधिकार** - शर्त संख्या-15 एवं 16 में निर्धारित विलम्ब शुल्क तथा गोदाम किराया की दरों को प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को विशेष परिस्थितियों में, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, कम करने का अधिकार उन्हें प्रतिनिधायित्व अधिकारों की सीमान्तर्गत नियमानुसार होगा।
- 18- **जमानत का समायोजन** - जमानत की धनराशि का समायोजन यदि क्रेता के विरुद्ध कोई अन्य बकाया न हो तो, लाट की अन्तिम किश्त के विरुद्ध किया जा सकता है।
- 19- **निकासी का परिमाण एवं समय** - क्रेता को तेन्दू पत्ता बोरो की निकासी प्रत्येक बोरे को तौल कर की जायेगी एवं माल की निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त तक दी जायेगी।

- 20— **विक्रय मूल्य की धनराशि का भुगतान:** विक्रय मूल्य का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का बना हुआ बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर या फिर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 अथवा अन्य किसी अनुमन्य ऑनलाइन माध्यम से खाते में करना होगा एवं विक्रय मूल्य पर देय करें का भुगतान सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक के खाते में उपरोक्त माध्यमों के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 21— **संयुक्त रूप से विभिन्न लाटों के लिये धनराशि जमा करते समय लाटों का विवरण दिया जाना —** यदि किसी क्रेता द्वारा किसी एक प्रभाग में कई लाटें एक साथ क्रय की गयी हों तथा उसके द्वारा किशतों की धनराशि संयुक्त रूप से जमा की जाती है और विभिन्न लाटों में उसके समायोजन का विवरण नहीं दिया जाता है तो, उसके द्वारा जमा धनराशि का समायोजन गोदाम अधिकारी अपने विवेकानुसार क्रेता द्वारा क्रय की गयी लाटों के किशतों के विरुद्ध करेंगे एवं उसका विवरण धन प्राप्ति रसीद में लाटवार अंकित कर दिया जायेगा। अतः अपने हित में क्रेता धनराशि जमा करते समय उसके विभिन्न लाटों में समायोजन के सम्बन्ध में लिखित विवरण गोदाम अधिकारी को प्रस्तुत करके धन प्राप्ति रसीद में अंकित करवाना सुनिश्चित करवा लें। कोई भी गोदाम अधिकारी स्वयं अपने गोदाम में क्रेता की जमा धनराशि बिना प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक की पूर्व लिखित अनुमति के किसी दूसरे गोदाम हेतु हस्तान्तरित नहीं करेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के पूर्व लिखित अनुमति के पश्चात् गोदाम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि, जिस क्रेता की धनराशि हस्तान्तरित की जा रही है, उस क्रेता का कोई बकाया तथा उसके द्वारा क्रय की गयी लाट की कोई किशत, ऐसे हस्तान्तरण किये जाने के समय बकाया नहीं है एवं धनराशि हस्तान्तरण की प्रविष्टि लाट लेजर में कर ली गयी है।
- 22— **कर भार —**
- (अ) **आयकर —** भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार तेन्दू पत्ता की बिक्री पर नियमानुसार क्रेता से आयकर की वसूली की जायेगी।
- (ब) **मण्डी शुल्क एवं अन्य देय कर —** शर्त सं0 22 (अ) में वर्णित आयकर के अलावा तेन्दू पत्ता की बिक्री पर मण्डी शुल्क, जो वर्तमान में दो दशमलव पाँच प्रतिशत (2.5%) अथवा यथा संशोधित जैसी भी स्थिति हो, की दर से देय होगी, की वसूली क्रेता से पृथक से की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कर यदि शासन द्वारा लगाया जाता है तो, उसकी भी वसूली सम्बन्धित क्रेता से की जायेगी।
- (स) **वर्तमान में प्रचलित जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) अधिनियम/नियमावली के अनुसार तेन्दूपत्ता की बिक्री पर नियमानुसार जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) की वसूली क्रेता से की जायेगी।**
- 23— **नियमों का पालन —** यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में तेन्दू पत्ता का व्यापार, उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 (यथा अद्यतन संशोधित) द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अतिरिक्त तेन्दू पत्ता एक वनोपज होने के कारण भारतीय वन अधिनियम, 1927 भी इस पर लागू होता है। उक्त समस्त अधिनियमों एवं उनके अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत नियमावलियों एवं अधिसूचनाओं के अन्तर्गत निकासी तथा तेन्दू पत्ता के परिवहन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने एवं सुसंगत नियमों का पालन करने का दायित्व क्रेता का होगा।
- 24— **विविध —** उपरोक्त शर्त संख्या 4, पत्तों के ग्रेड से सम्बन्धित शिकायत के अलावा यदि अन्य किसी बात पर क्रेता द्वारा शिकायत की जाती है तथा लाट की जाँच हेतु आवेदन किया जाता है तो, ऐसे आवेदन पर की जाने वाली जाँच के लिये रुपये पाँच (रु. 5/-) प्रति वास्तविक बोरा की दर से देय जी0एस0टी0 अतिरिक्त सहित क्रेता को अग्रिम रूप से धनराशि जमा करना होगा।

यह धनराशि सम्बन्धित प्रभाग के प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट, जो सम्बन्धित प्रभाग के कार्यालय स्थान पर देय हो, के रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। उक्त धनराशि के बिना क्रेता के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा कोई आवेदन पत्र दिया ही नहीं गया है। जाँच के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय यदि क्रेता के पक्ष में है तो, उस स्थिति में ऐसे निर्णय के पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर उक्त धनराशि क्रेता को वापस कर दी जायेगी तथा शिकायत सही होने की सीमा तक विवादित बोरों को अलग कर लाट का मूल्य तदनुसार संशोधित किया जायेगा, परन्तु शिकायत सही न पायी जाने की दशा में क्रेता उक्त धनराशि को वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। शिकायत एवं जाँच प्रक्रिया से किश्त जमा करने की तिथियों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। *जाँच प्रक्रिया में होने वाले व्यय को क्रेता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।*

25— न्यायिक वाद का क्षेत्राधिकार — इस तेन्दू पत्ता बिक्री से सम्बन्धित किसी भी लाट के सम्बन्ध में न्यायिक वाद, केवल उसी न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत उक्त लाट से सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक का कार्यालय आता है।

26— तेन्दू पत्ता नीलाम सूचना उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट www.upforestcorporation.co.in पर भी उपलब्ध होगी।

27— किसी भी समय लाट का अनुबन्ध होने के बाद भी, यदि यह संज्ञान में आता है कि, सम्बन्धित क्रेता/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो, उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

28— अधिवक्ता द्वारा ठेकेदारी में प्रतिभाग न किया जाना — राज्य विधिक परिषद (स्टेट बार कौंसिल) में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति नहीं है। यदि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकेदारी में प्रतिभाग करते हैं तो, उनके आवेदन सीधे निरस्त कर दिये जायेंगे।

यदि उपर्युक्त नीलाम के पश्चात यह तथ्य संज्ञान में आता है, तो ऐसी दशा में सम्बन्धित क्रेता की स्वीकृत लाटों को निरस्त कर दिया जायगा एवं बन्धक धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

29— मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) — शर्तों के पालन सम्बन्धी विवाद में महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता) उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) होंगे, जिनका निर्णय अन्तिम व उभय पक्षों को मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश वन निगम